

## अनुलग्नक-1


### सभा करने की अनुमति / आदेश

आवेदक **इनामुल हक** पार्टी का नाम **राजद** निम्नलिखित तिथि/समय एवं स्थान पर सभा करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।  
सभा में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा।

1. सभा/रैली का स्थान - रामाधार राय के आवास पर, गोविन्दबारा
  2. तिथि - 16.04.2019
  3. समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक
- सभा/रैली (कार्यक्रम) में उपयोग होनेवाली सामग्री—
1. 60 कुर्सी

अतः सभा (कार्यक्रम) करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

1. सभा/रैली (कार्यक्रम) निर्धारित समयावधि के बीच निर्धारित स्थल पर ही किया जाएगा।
2. सभा/रैली (कार्यक्रम) के मंच का आकर इस प्रकार का हो कि यातायात बाधित न हो।
3. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्वाह्न 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किया जाएगा।
4. बिहार कन्ट्रोल यूज एण्ड प्ले ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट 1953 की धारा-3 के अनुकूल ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा।
5. सभा (कार्यक्रम) में उपयोग होने वाले समाग्री, बैनर, झण्डा आदि भारत निर्वाचन आयोग के मानक के अनुरूप होगा।
6. सभा (कार्यक्रम) में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तथा कोई भी व्यक्ति इसमें मादक पदार्थ का सेवन कर भाग नहीं लेगा। इसे आवेदक/आयोजक सुनिश्चित करायेंगे।
7. सभा (कार्यक्रम) में किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्तेजक या भड़काने वाला भाषण या वक्तव्य नहीं दिया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म/जाति एवं समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे।
8. भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना आयोजक/आवेदक सुनिश्चित करायेंगे।
10. किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर पूर्ण जवाबदेही आवेदक/आयोजक की होगी।
11. सरकारी मंच/स्टेज तथा हेलीपैड का इस्तेमाल करने पर निर्धारित शुल्क अनुमंडल नजारत में जमा करना होगा एवं इसे भी व्यय विवरणी में शामिल करना होगा।
12. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर पूरी जवाबदेही आयोजक की होगी और अनुमति पत्र स्वतः रद्द माना जाएगा तथा आदर्श आचार संहिता में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

  
अपर सहायक, आपदा-सह-  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं  
नोडल पदाधिकारी,  
एकल खिडकी कोषांग  
शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिकरहना प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/ थानाध्यक्ष, चिरैया मोतिहारी पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निर्धारित कार्यक्रम के दौरान आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय तथा विधि व्यवस्था से संबंधित सभी प्रवधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग(एम0सी0सी0)/उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त स्थल पर F.S.T एवं V.S.T की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे, तथा इनसे Videography की CD प्राप्त कर व्यय अनुश्रवण कोषांग में V.V.T को समर्पित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- नियंत्रण कक्ष, प्रेस क्लब मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संबंधित पदाधिकारीयों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- DEO, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्ता, आपदा-सह-  
सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं  
नोडल पदाधिकारी,  
एकल खिडकी कोषांग  
शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र